

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/ बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 19.06.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना निजामाबाद: साइबर फ्राड के 37,551 रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 20.02.25 को आवेदक प्रेमराज यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी अरया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के साथ 44,500/- रुपये का साइबर धोखाधड़ी आवेदक का रिस्तेदार बनकर किया गया था। जिसके संबन्ध में साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या 3310225XXXXX पंजीकृत हुआ था। फ्राड के सभी पैसों फ्राडस्टर के बैंक एकाउन्ट में होल्ड करावाया गया था।

➡ उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा कोर्ट आर्डर के माध्यम से आवेदक के खाते में कुल 37,551 /- रुपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

पुलिस टीम:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. म0का0 रेनू देवी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

02. थाना सिधारी: पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त घटना में प्रयुक्त ईट के साथ गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक- 16.06.2025 को वादी मुकदमा सुबाष चन्द पुत्र स्व0 बरसाती राम सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 15.06.25 को अभियुक्त सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा स्वयं के पिता विजई राम पुत्र स्व0 बरसाती राम उम्र करीब 62 वर्ष को कहासुनी में ईट से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया तथा दिनांक 16.06.25 को घर का दरबाजा खोलने पर मृत्यु अवस्था में मिले, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 302/2025 धारा 105 बी0एन0एस0 बनाम सुनील कुमार पुत्र विजई राम सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध शिवकुमार यादव द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 18.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशिचन्द चौधरी, निरीक्षक शिवकुमार यादव, उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी, उ0नि0 मो0 इस्लाम, चौकी प्रभारी मूसेपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा जाफरपुर परानापुर मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय 02.34 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद सीमेन्टेड ईट (आलाकत्ल)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 302/2025 धारा 105 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
2. निरीक्षक शिवकुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 मु0 इस्लाम थाना सिधारी आजमगढ़
4. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
5. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़

03.थाना गम्भीरपुर: हत्या के 08 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 34,250/- रुपये जुर्माना ।

➡ दिनांक- 19.01.2021 को वादी सुरेन्द्र नाथ राय पुत्र पारस नाथ राय निवासी ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक 18.01.2021 को समय 18.00 बजे प्रतिवादी (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नरायन राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमेबाजी व मुकदमें में पैरवी को लेकर एक राय होकर साजिस करके वादी के लड़के मनीष राय उम्र 40 वर्ष को ताबड़तोड़ गोली मार देना इलाज हेतु वाराणसी ले जाते समय मृत्यु हो गयी।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 10/2021 धारा-147, 148, 149, 506, 352, 302, 34, 120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए हैं ।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नरायन राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 34,250-34250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

जनपद – बलिया

01. थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा धारा- 304(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 12400 रु0 किया गया बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-06-2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं अपने खाता से पैसा निकालनकर पैसा गिन रही थी कि एक व्यक्ति आकर मेरे पास पैसों में फटा नोट निकालने की बात कही और पैसा लेकर फरार हो गया । की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0251/2025 धारा- 304(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.6.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 श्री बृजेश सिंह मय हमराह हे0का0 विकास वर्मा, कां0 सर्वेश यादव के साथ मुकदमा उपरोक्त के विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में वादिनी मुकदमा अफसाना खातून को लेकर घटना स्थल पर जाकर विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित किया गया तथा वादिनी मुकदमा व बैंक से उपरोक्त अभियोग में घटना कारित करने वाले व्यक्ति की सीसीटीवी फुटेज देखकर फोटो प्राप्त किया गया, कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मालगोदाम रोड मंदिर के पास से अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 विशुनदेव पाण्डेय निवासी बिहटा थाना बिहटा जनपद पटना राज्य बिहार उम्र 35 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बातकर समय करीब 10.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 12,400 रुपया बरामद हुआ। जिसमें धारा- 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 0251/2025 धारा- 304(1) बढोत्तरी धारा- 317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 446/2018 धारा- 379, 411, 420 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

02. मु0अ0सं0- 447/2018 धारा- 379, 411, 420 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

03. मु0अ0सं0- 448/2018 धारा- 379, 411, 420 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

04. मु0अ0सं0- 28/2021 धारा- 8/20, एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

बरामदगी-

01. कुल 12,400 रुपया बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 विशुनदेव पाण्डेय निवासी बिहटा थाना बिहटा जनपद पटना राज्य बिहार उम्र 35 वर्ष।

02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION”के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक-18.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 197/2024 धारा-137(2), 61(2), 65(1) वीएनएस व धारा 3/4(2) पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. अमरजीत पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवजी पांडेय निवासी ग्राम रतसड़ खुर्द थाना गड़वार बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा- धारा- 4 पाँक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

धारा- 137(2) वीएनएस में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तों को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया था।

03. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया।

दिनांक-18.06.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 05/2021 धारा 224, 225 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त बेचू राम पुत्र ढोढ़ा राम निवासी बिगही हरिजन बस्ती, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा- धारा 224, 225, भादवि में अभियुक्त बेचू राम पुत्र ढोढ़ा राम निवासी बिगही हरिजन बस्ती, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को 02 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित की जाएगी।

04.थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकरक के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी सदर श्री मो० उस्मान व प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहम फरीदी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.06.2025 को नरही पुलिस टीम के उ०नि० श्री कुलदीप कुमार खानाशुदा तारीखी इमरोजा मय हमराह हे०का० मनोज मौर्या व का० उमाशंकर के देखभाल क्षेत्र, बैंक चेकिंग, पेण्डिंग विवेचना, तलाश सदिंध व्यक्ति व वाहन के दौरान क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिए मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त विशाल बिन्द पुत्र ओमप्रकाश बिन्द निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना नरही, जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष को कैथवली से नरही जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 145/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 145/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नरही जनपद बलिया।

बरामदगी-

01 अदद चाकू

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विशाल बिन्द पुत्र ओमप्रकाश बिन्द निवासी ग्राम शहाबुद्दीनपुर थाना नरही, जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष।